इस्लामी वित्तीय संस्थाएं

31 दिसम्बर 1993 ई0 - 3 जनवरी 1994 ई0 उमराबाद में आयोजित छटे फ़िक़्ही सेमिनार में इस्लामी वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित एक अहम फ़ैसला यह किया गया किः

‘‘वित्तीय संस्थाओं को अपनी पूंजी का पांच फ़ीसदी हिस्सा रिज़र्व बैंक के नियम की वजह से सरकारी संरक्षण में जमा रखना पड़ता है, जिस पर सरकार ब्याज भी देती है। इस स्थिति में जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज को धीरे–धीरे सुरक्षित पूंजी बना दिया जाए और मूल पूंजी धीरे धीरे उसमें से निकाल ली जाए।

☆☆☆